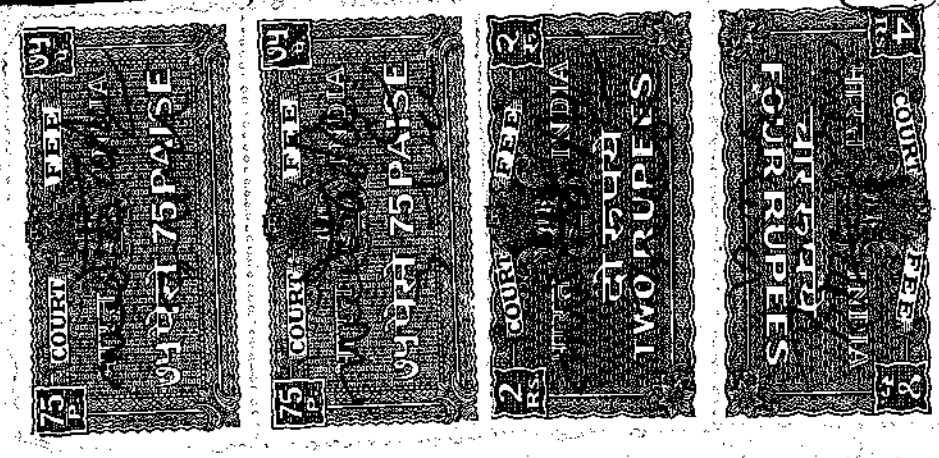

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर R 80-II/92

प्रकरण क्रमांक /९२ निगरानी।

--बाबू-- पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम दीपेरा, तहसील कैलारस, जिला ~~शिवपुरी~~ मुरैना :म0प्र0:

---- प्रार्थी

29-II

विरुद्ध

१- सुरेन्द्र कुमार पुत्र मागचंद, निवासी ग्राम ब्यावरा तहसील कैलारस, जिला मुरैना :म0प्र0:

२- मध्यप्रदेश शासन.

---- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बल सम्भाग दिनांक २६-६-९२, धारा ५० लेण्ड रे0 कोड मध्यप्रदेश। प्रकरण क्रमांक ६६/९१-९२ निगरानी।

---

श्रीमान्,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

:१: यह कि, अपर आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय एवम् एस0डी0ओ0 महोदय के आदेश कानूनन सही नहीं है।

:२: यह कि, अपर आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय एवम् एस0डी0ओ0 महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

प्रकरण कमांक – निग0 80–दो/92

जिला – मुरैना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6-6-16 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 67/91–92/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–6–92 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।<br>2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।<br>3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है । म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखिल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपवंध अधिनियम, 1984 के तहत अपील का प्रावधान न होने से एस.डी.ओ. द्वारा पारित आदेश अधिकार विहीन था, जिसे निरस्त न करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है ।<br>4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।<br>5/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है ।<br>6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| | अभिलेख का अवलोकन किया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को समयावधि बाह्य मानकर निरस्त किया है । उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13–10–86 के विरूद्ध निगरानी 30–10–89 को अर्थात 3 वर्ष 17 दिन बाद पेश की है आवेदक ने जानकारी का दिनांक 27–9–89 को होना बताया है, जिसे अपर आयुक्त ने इस आधार पर सही नहीं माना है कि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक 10/86–87/अ–74 में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 15–4–87 के साथ प्रस्तुत नकल खसरा के अनुसार दिनांक 15–4–87 को हो चुकी थी । अपर आयुक्त का यह कहना भी न्यायसंगत है कि कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में प्रचलित निगरानी के निराकरण में व्यतीत हुए समय को क्षमा किया जा सकता है परंतु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश करने में हुए विलंब को क्षमा किए जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कलेक्टर ने समयावधि के बिंदु पर कोई विचार नहीं किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को समयावधि बाह्य मानकर निरस्त करने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की है और उनका आदेश उचित एवं न्यायिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।<br>उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।<br>सदस्य | |